झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–170 / 2019

साधु मांझी .....याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य, द्वारा मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, रांची, परियोजना भवन, डाकघर और थाना–धुर्वा, जिला–रांची (झारखंड)
2. प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार, रांची, परियोजना भवन, डाकघर और थाना–धुर्वा, जिला–रांची (झारखंड)
3. प्रधान सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, झारखंड, रांची, परियोजना भवन, डाकघर और थाना–धुर्वा, जिला–रांची (झारखंड)
4. निदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, झारखंड, रांची, परियोजना भवन, डाकघर और थाना–धुर्वा, जिला–रांची
5. आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर डिवीजन, हजारीबाग, डाकघर और थाना–हजारीबाग, जिला–हजारीबाग (झारखंड)
6. उपायुक्त, धनबाद–सह–अध्यक्ष, जिला चयन समिति, धनबाद, डाकघर और थाना–धनबाद, जिला–धनबाद
7. निदेशक, बी0आई0टी0 सिंदरी, डाकघर और थाना–सिंदरी, जिला–धनबाद (झारखंड)

.....विरोधी पक्षगण

<u>कोरमः</u> **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री संतोष कुमार झा, अधिवक्ता।

विरोधी पार्टियों के लिए :

3 / 06.09.2019 याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता को सुना।

रिट याचिका डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–5111/2018 को दिनांक 04.02.2019 के आदेश का पालन न करने के लिए खारिज कर दिया गया था क्योंकि एक मामूली त्रुटि को दूर किया जाना बाकी था। याचिकाकर्त्ता के वकील ने कहा कि जैसे ही रिट याचिका को पुनःस्थापित किया जाएगा, वह उक्त दोष को हटा देंगे।

उक्त सबमिशन पर विचार करते हुए, मैं इस सिविल विविध याचिका की अनुमति देता हूँ। तद्नुसार, डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–5111/2018 को आज से तीन सप्ताह के भीतर शेष त्रुटियों को दूर करने हेतु याचिकाकर्त्ता को एक निर्देश के साथ अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है।

इस प्रकार, यह सिविल विविध याचिका की अनुमति दी जाती है।

(आनंदा सेन, न्याया0)